receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note2:**-In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.			

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment	Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :—** (1) Director (Administration) Coast Guard Headquarters - Chairman (2) Senior Civilian Staff Officer -Member (3) Two Officers of the rank of Civilian Staff Officer – Members	Not applicable.

[F. No. CP/0601/MTS /129/D(CG)/2017]

SUDHEER BABU MOTANA, Under Secy.

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2017

का.नि.आ. 68.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में फायर इंजन ड्राइवर 'घ' पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ख' फायरइंजन ड्राइवर 'घ' भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद का नाम, संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फायर इंजन ड्राइवर 'घ'	05* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-6 (35400-112400 रु.)	अचयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति,** सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रौन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स मे स्तर-5 में ऐसे फायर इंजन ड्राइवर 'ग' जिन्होंने उस श्रेणी में छः वर्षों की नियमित सेवा की हो	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :—** 1. रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन या स्थापन या प्रयोगशाला का निदेशक या प्रधान -अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

तथा फायर टेंडर के संचालन, रखरखाव और छोटी मोटी मरम्मतों पर विहित परीक्षण उत्तीर्ण किया हो (विभाग द्वारा यथा संचालित) **नोट :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक सेवा या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने से ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I या वैज्ञानिक 'ग' जो संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह के किसी घटक स्थापन या प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है -सदस्य 3. संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाली स्थापनों या प्रयोगशालाओं से ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II -सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति :–** 1. रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की किसी स्थापन या प्रयोगशाला का निदेशक या प्रधान - अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या वैज्ञानिक 'ग' जो संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह के किसी घटक स्थापन या प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है -सदस्य 3. संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाली स्थापनों या प्रयोगशालाओं के ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II -सदस्य	

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/आरआर/एफईडी 'डी'/सी/पी/01/1586/डी(आर एंड डी)/17]

हर्षा रानी, अवर सचिव

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 16th August, 2017

S.R.O. 68.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Fire Engine Driver 'D' in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'B' post, Fire Engine Driver 'D', Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Name of the post, number, classification and level in pay matrix.**—The name of the post, number, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualifications .**—No person .-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age Limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fire Engine Driver 'D'	05* (2017) * subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35400-112400)	Non- Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	2 years for promotees	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Fire Engine Driver 'C' in level-5 in the pay matrix with six years regular service in the grade and having passed the prescribed test on operation, maintenance and minor repairs of fire tenders (as conducted by the department). **Note 1**:-Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation	**Group 'B' Departmental Promotion Committee: —** 1. Director or Head of one of the Defence Research and Development Organisation or Establishments or Laboratories -Chairman 2. Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratories of the respective Departmental Promotion Committee-II Group. -Member 3. Senior Administrative Officer Grade-II from the participating Establishments or Laboratories in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group. -Member	Consultation with UPSC not necessary.

period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee:—** 1. Director or Head of one of the Defence Research and Development Organisation Establishments or Laboratories -Chairman 2. Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratories of the respective Departmental Promotion Committee-II Group. -Member 3. Senior Administrative Officer Grade-II from the participating Establishments or Laboratories in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group. -Member	

[F. No. DHRD/76257/RRs/FED'D'/C/P/01/1586/17/D(R&D)]

HARSHA RANI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.09.21 16:06:22 +05'30'